उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी

02/12/21 पत्रावली अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध
निर्माण विभाग द्वारा पेश हुई।
मुकदमों को मजमून सुना गया कि
मजमून जानकारी ली गई। सहायक अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बताया गया
कि प्रस्तावित भूमि पर नई सड़क का
निर्माण नहीं कराया जा रहा है सड़क
पूर्व से बनी हुई है और सड़क
पर डामरीकरण कर साइड में केवल
डालकर पक्की निर्माण का कार्य प्रस्तावित
है ऐसी स्थिति में विवादित जमीन पर
किसी विधिक अधिकार बनाए रखकर
मजिस्ट्रेट व जनहितार्थ कार्य के बाधा
पहुंचाना न्यायालय उचित नहीं समझती
है लिहाजा ~~इस न्यायालय द्वारा जारी~~
~~अंतरिम निषेधाज्ञा निरस्त~~ किसी
विधिक निषेधाज्ञा जारी किया
जाना उचित प्रतीत नहीं होने के
कारण प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर
खारिज किया जाता है। पत्रावली
निर्णय हेतु दिनांक 15 वाद के साथ
नियत की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.23 12:02:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
SDO (गुड़ामालानी)